**संख्या-07/2017/2388/33-2-2017-01जी/17**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2017

विषय :वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 की संस्तुति के आधार पर जिला पंचायतों के विभिन्न श्रेणी के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-38/2016/वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016, दिनांक 11-08-2016 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-63/2016-वे0आ0-2-2644/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 द्वारा वेतन समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया गया है।

अत: वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 को प्रदेश के जिला पंचायतों की पूर्णकालिक सेवा में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) जिला पंचायतों के कार्मिकों के पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 में दी गई व्यवस्थानुसार होगा। इस सम्बन्ध में प्रारूप संलग्न है। (संलग्नक-2)

(2) पुनरीक्षित वेतन संरचना के वेतनमान में निर्धारित वेतन दिनांक 01-01-16 अथवा दिये गये विकल्प की तिथि से देय होगा एवं महगांई भत्ते की संशोधित दरें राज्य कर्मचारियों के समान देय होंगी।

--2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के संबंध में वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन भाग-5 के माध्यम से की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शासनादेश संख्या-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रारूप संलग्न है। (संलग्नक-1)

(4) शासनादेश सं0-67/2016/वे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतनवृद्धि की व्यवस्था लागू की जाएगी।

(5) जिला पंचायतों के विभिन्न् श्रेणी के सेवारत/दिनांक 01-01-2016 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में ए0सी0पी0 के रूप में निर्धारित सेवा अवधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला लेवल राजकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अनुमन्य किया जायेगा।

(6) जिला पंचायतों के विभिन्न श्रेणी के सेवारत/दिनांक 01-01-2016 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतन तथा मंहगाई भत्ता का दिनांक 01-01-2017 से नगद भुगतान किया जायेगा। "दिनांक 01-01-16 से दिनांक 31-12-2016 तक देय अवशेष का भुगतान 02 समान किश्तों में राजकीय कार्मिकों के समान किया जायेगा। अवशेष वेतन पर निहित व्यय भार जिला पंचायतों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा और राज्य सरकार से इस संबंध में अलग से धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।"

(7) जिला पचांयतों के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाओं तथा अन्य लाभ दिये जाने के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी और इसे वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित जिला पंचायत का होगा।

(8) राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों को संकमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि में से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि को आरक्षित करते हुए शेष बची धनराशि तथा अन्य श्रोतों से हुई आय की धनराशि से संबंधित जिला पंचायत अपनी अन्य विकास संबंधी प्रतिबद्धताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संक्रमण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु आवश्यक धनराशि से कम होने की स्थिति में अपने श्रोतों से एकत्र धनराशि में से कमी की पूर्ति किये जाने के उपरांत अवशेष धनराशि का उपयोग विकास कार्यों हेतु किया जायेगा।

--3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) जिला पंचायत के अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना, भत्ते एवं सुविधाएं तथा अन्य लाभ इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य कराये जायेंगे कि उक्त से आने वाले व्ययभार को वहन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी तथा ऋणदाता वित्तीय संस्थाओं के देयों अथवा शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। जिला पंचायत को अपने कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ अनुमन्य कराये जाने से अधिष्ठान व्यय में होने वाली वृद्धि के आधार पर ऋणदाता संस्थाओं एवं शासकीय देयों, यदि कोई हों, के भुगतान में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(10) इस शासनादेश के जारी होने के दिनांक से प्रदेश के जिला पंचायत में पदों पर भर्ती, पदों का सृजन तथा अस्थायी कर्मचारियों का स्थायीकरण पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही किया जायेगा।

(11) इस शासनादेश के संलग्नक-1 के अनुसार वेतनबैण्ड 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400 के सभी पदों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही वेतन बैण्ड, लेवल 10 अनुमन्य कराया जाय। परन्तु वैयक्तिक वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड वेतन 5400 के ऐसे पद धारकों जिनके लिए इससे उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था भी उपलब्ध न हो, के लिए लेवल 9 के वेतनमान को पुनरीक्षित वेतन संरचना में रखा जायेगा।

(12) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति होती है तो उसका निराकरण सामान्य विभागीय कार्यवाही के अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से किया जायेगा। किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1073/दस-2017, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

--4/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 7/2017/2388(1)/33-2-2017, तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ0प्र0।

(3) मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

(4) उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।

(5) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ।

(6) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उ0प्र0, लखनऊ।

(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

(9) वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2

(10) पंचायती राज अनुभाग-1/3

(13) अधिष्ठान पुनरीक्षिण ब्यूरो।

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स संलग्नक -1

| वेतन बैण्ड | 5200-20200 | | | | | 9300-34800 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रेड वेतन | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 2800 | 4200 | 4600 | 4800 | 5400 |
| लेवल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 18000 | 19900 | 21700 | 25500 | 29200 | 35400 | 44900 | 47600 | 53100 |
| 2 | 18500 | 20500 | 22400 | 26300 | 30100 | 36500 | 46200 | 49000 | 54700 |
| 3 | 19100 | 21100 | 23100 | 27100 | 31000 | 37600 | 47600 | 50500 | 56300 |
| 4 | 19700 | 21700 | 23800 | 27900 | 31900 | 38700 | 49000 | 52000 | 58000 |
| 5 | 20300 | 22400 | 24500 | 28700 | 32900 | 39900 | 50500 | 53600 | 59700 |
| 6 | 20900 | 23100 | 25200 | 29600 | 33900 | 41100 | 52000 | 55200 | 61500 |
| 7 | 21500 | 23800 | 26000 | 30500 | 34900 | 42300 | 53600 | 56900 | 63300 |
| 8 | 22100 | 24500 | 26800 | 31400 | 35900 | 43600 | 55200 | 58600 | 65200 |
| 9 | 22800 | 25200 | 27600 | 32300 | 37000 | 44900 | 56900 | 60400 | 67200 |
| 10 | 23500 | 26000 | 28400 | 33300 | 38100 | 46200 | 58600 | 62200 | 69200 |
| 11 | 24200 | 26800 | 29300 | 34300 | 39200 | 47600 | 60400 | 64100 | 71300 |
| 12 | 24900 | 27600 | 30200 | 35300 | 40400 | 49000 | 62200 | 66000 | 73400 |
| 13 | 25600 | 28400 | 31100 | 36400 | 41600 | 50500 | 64100 | 68000 | 75600 |
| 14 | 26400 | 29300 | 32000 | 37500 | 42800 | 52000 | 66000 | 70000 | 77900 |
| 15 | 27200 | 30200 | 33000 | 38600 | 44100 | 53600 | 68000 | 72100 | 80200 |
| 16 | 28000 | 31100 | 34000 | 39800 | 45400 | 55200 | 70000 | 74300 | 82600 |
| 17 | 28800 | 32000 | 35000 | 41000 | 46800 | 56900 | 72100 | 76500 | 85100 |
| 18 | 29700 | 33000 | 36100 | 42200 | 48200 | 58600 | 74300 | 78800 | 87700 |
| 19 | 30600 | 34000 | 37200 | 43500 | 49600 | 60400 | 76500 | 81200 | 90300 |
| 20 | 31500 | 35000 | 38300 | 44800 | 51100 | 62200 | 78800 | 83600 | 93000 |
| 21 | 32400 | 36100 | 39400 | 46100 | 52600 | 64100 | 81200 | 86100 | 95800 |
| 22 | 33400 | 37200 | 40600 | 47500 | 54200 | 66000 | 83600 | 88700 | 98700 |
| 23 | 34400 | 38300 | 41800 | 48900 | 55800 | 68000 | 86100 | 91400 | 101700 |
| 24 | 35400 | 39400 | 43100 | 50400 | 57500 | 70000 | 88700 | 94100 | 104800 |
| 25 | 36500 | 40600 | 44400 | 51900 | 59200 | 72100 | 91400 | 96900 | 107900 |
| 26 | 37600 | 41800 | 45700 | 53500 | 61000 | 74300 | 94100 | 99800 | 111100 |
| 27 | 38700 | 43100 | 47100 | 55100 | 62800 | 76500 | 96900 | 102800 | 114400 |
| 28 | 39900 | 44400 | 48500 | 56800 | 64700 | 78800 | 99800 | 105900 | 117800 |
| 29 | 41100 | 45700 | 50000 | 58500 | 66600 | 81200 | 102800 | 109100 | 121300 |
| 30 | 42300 | 47100 | 51500 | 60300 | 68600 | 83600 | 105900 | 112400 | 124900 |
| 31 | 43600 | 48500 | 53000 | 62100 | 70700 | 86100 | 109100 | 115800 | 128600 |
| 32 | 44900 | 50000 | 54600 | 64000 | 72800 | 88700 | 112400 | 119300 | 132500 |
| 33 | 46200 | 51500 | 56200 | 65900 | 75000 | 91400 | 115800 | 122900 | 136500 |
| 34 | 47600 | 53000 | 57900 | 67900 | 77300 | 94100 | 119300 | 126600 | 140600 |
| 35 | 49000 | 54600 | 59600 | 69900 | 79600 | 96900 | 122900 | 130400 | 144800 |
| 36 | 50500 | 56200 | 61400 | 72000 | 82000 | 99800 | 126600 | 134300 | 149100 |
| 37 | 52000 | 57900 | 63200 | 74200 | 84500 | 102800 | 130400 | 138300 | 153600 |
| 38 | 53600 | 59600 | 65100 | 76400 | 87000 | 105900 | 134300 | 142400 | 158200 |
| 39 | 55200 | 61400 | 67100 | 78700 | 89600 | 109100 | 138300 | 146700 | 162900 |
| 40 | 56900 | 63200 | 69100 | 81100 | 92300 | 112400 | 142400 | 151100 | 167800 |

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| 15600-39100 | | | 37400-67000 | |
|---|---|---|---|---|
| 5400 | 6600 | 7600 | 8700 | 8900 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 13 क |
| 56100 | 67700 | 78800 | 123100 | 131100 |
| 57800 | 69700 | 81200 | 126800 | 135000 |
| 59500 | 71800 | 83600 | 130600 | 139100 |
| 61300 | 74000 | 86100 | 134500 | 143300 |
| 63100 | 76200 | 88700 | 138500 | 147600 |
| 65000 | 78500 | 91400 | 142700 | 152000 |
| 67000 | 80900 | 94100 | 147000 | 156600 |
| 69000 | 83300 | 96900 | 151400 | 161300 |
| 71100 | 85800 | 99800 | 155900 | 166100 |
| 73200 | 88400 | 102800 | 160600 | 171100 |
| 75400 | 91100 | 105900 | 165400 | 176200 |
| 77700 | 93800 | 109100 | 170400 | 181500 |
| 80000 | 96600 | 112400 | 175500 | 186900 |
| 82400 | 99500 | 115800 | 180800 | 192500 |
| 84900 | 102500 | 119300 | 186200 | 198300 |
| 87400 | 105600 | 122900 | 191800 | 204200 |
| 90000 | 108800 | 126600 | 197600 | 210300 |
| 92700 | 121100 | 130400 | 203500 | 216600 |
| 95500 | 115500 | 134300 | 209600 | |
| 98400 | 119000 | 138300 | 215900 | |
| 101400 | 122600 | 142400 | | |
| 104400 | 126300 | 146700 | | |
| 107500 | 130100 | 151100 | | |
| 110700 | 134000 | 155600 | | |
| 114000 | 138000 | 160300 | | |
| 117400 | 142100 | 165100 | | |
| 120900 | 146400 | 170100 | | |
| 124500 | 150800 | 175200 | | |
| 128200 | 155300 | 180500 | | |
| 132000 | 160000 | 185900 | | |
| 136000 | 164800 | 191500 | | |
| 140100 | 169700 | 197200 | | |
| 144300 | 174800 | 203100 | | |
| 148600 | 180000 | 209200 | | |
| 153100 | 185400 | | | |
| 157700 | 191000 | | | |
| 162400 | 196700 | | | |
| 167300 | 202600 | | | |
| 172300 | 208700 | | | |
| 177500 | | | | |

http://shasanadesh.up.nic.in

**<u>संलग्नक-2</u>**

**<u>विकल्प का प्रारूप</u>**

*1 मैं, -----------------------------------------01 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का चयन करता हूँ/ करती हूँ।

*2 मैं, ---------------------------------अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक/स्थानापन्न पद के वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन में

* मेरी अगली वेतनवृद्धि की तिथि तक/मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तिथि तक, जब मेरा वेतन बढ़कर ----------------------- रूपये हो जाए/मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने/बंद करने तक/------------------------------के पद पर मेरी प्रोन्न्ति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ/करती हूँ।

विद्यमान वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन--------------------------------

हस्ताक्षर---------------------------------
नाम-------------------------------------
पदनाम----------------------------------
कार्यालय जिसमें नियुक्त हैं-----------------------------

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**संलग्नक-3**

**वचनबंध**

मैं, यह वचन देता हूँ कि मेरा वेतन, वेतन निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश में अन्तर्विष्ट उपबंधों के विपरीत रीति से निर्धारित हो जाने (त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण पर) जिसका पता बाद में लगे, की स्थिति में इस प्रकार किया गया कोई अधिक भुगतान या तो मेरे बकाया भावी भुगतानों में समायोजित करके या फिर अन्य रीति से सरकार को वापस किया जाएगा।

हस्ताक्षर----------------------------
नाम--------------------------------
पदनाम-----------------------------

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।